

कार्यालय – मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट, जयपुर महानगर प्रथम

क्रमांक:- 1928


दिनांक:- 19/8/2023

आदेश

इस कार्यालय के आदेश क्रमांक 1710 दिनांक 27.07.2023 के द्वारा माह अगस्त, 2023 में राजकीय अवकाशों के दिन आवश्यक फौजदारी कार्यों से सम्बन्धित मामलों की सुनवाई हेतु तथा आदेश क्रमांक 1723 दिनांक 27.07.2023 द्वारा, धारा 176 दण्ड प्रक्रिया संहिता के तहत जांच व मृत्युकालीन समीक्षा तथा मृत्युकालिक कथन लेखबद्ध करने हेतु जयपुर महानगर प्रथम न्यायक्षेत्र के न्यायालयों के पीठासीन अधिकारीगण को अधिकृत किया गया था।

चूंकि, दिनांक 20.08.2023 को उक्त आदेशों द्वारा अधिकृत पीठासीन अधिकारीगण को One Day Referral Judges Training Programme में उपस्थित रहने हेतु माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के आदेश क्रमांक Gen/XV(TRNG.)/10/2019/1704 दिनांक 14.08.2023 द्वारा निर्देशित किया गया है। अतः इस कार्यालय के उपरोक्त वर्णित आदेशों को इस आदेश की सीमा तक अतिलिखित करते हुए उक्त कारणवश निम्न राजकीय अवकाश के दिन आवश्यक फौजदारी कार्य, धारा 176 दण्ड प्रक्रिया संहिता के तहत जांच व मृत्युकालीन समीक्षा तथा मृत्युकालिक कथन लेखबद्ध करने हेतु निम्न न्यायालयों के पीठासीन अधिकारीगण को अधिकृत किया जाता है:-

क्र०सं०.	अवकाश की दिनांक	नाम न्यायालय	पीठासीन अधिकारी (सुश्री/श्रीमती/श्री) का नाम व मोबाईल नंबर
(1)	(2)	(3)	(4)
जयपुर एवं बस्सी मुख्यालय (रिमाण्ड ड्यूटी) हेतु			
1.	20.08.2023	एम.एम., क्रम-02, जयपुर महानगर प्रथम	आशीष बैन्दाड़ा, आर.जे.एस. मो० नं० 97859-60721
सांगानेर एवं चाकसू मुख्यालय (रिमाण्ड ड्यूटी) हेतु			
2.	20.08.2023	ए.सी.एम.एम., क्रम-18, सांगानेर जयपुर महानगर प्रथम	संजीव कुमार, आर.जे.एस. मो० नं० 94615-68997
धारा 176 दण्ड प्रक्रिया संहिता के तहत जांच व मृत्युकालीन समीक्षा तथा मृत्युकालिक कथन लेखबद्ध करने हेतु			
3.	20.08.2023	विशिष्ट महानगर मजिस्ट्रेट (एन. आई एक्ट केसेज), क्रम-07 जयपुर महानगर प्रथम	बीना मीणा, आर.जे.एस. मो० नं० 82339-69059



मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट,
जयपुर महानगर प्रथम।

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु निम्न को प्रेषित है:-

क्रमांक:- 1929 to 1935

दिनांक:- 19/8/2023

- माननीय जिला एवं सेशन न्यायाधीश, जयपुर महानगर प्रथम को प्रतिलिपि प्रेषित कर निवेदन है कि यदि सम्बन्धित अधिकारी को उक्त अवकाश दिवस का मुख्यालय परित्याग की अनुमति प्रदान की गई हो तो कृपया उसे निरस्त करने की कृपा करें।
- सहायक निदेशक, अभियोजन, प्रथम, जयपुर महानगर।
- दी वार एसोसियेशन, बनीपार्क, जयपुर।
- मुख्यालय MM-2/NI-7/AUMM-18, Main Rd
- पुलिस कण्ट्रोल रूम, जयपुर महानगर को प्रतिलिपि भेज कर लेख है कि समस्त आरक्षी केन्द्रों को सूचित किया जावे।
- आदेश पत्रावली/कार्यालय प्रति।
- सिस्टम ऑफिसर, जिला न्यायालय, जयपुर महानगर प्रथम को प्रतिलिपि प्रेषित कर लेख है कि इस आदेश से सम्बन्धित अधिकारीगण/कर्मचारीगण/पुलिस विभाग के अधिकारीगण/समस्त आरक्षी केन्द्र, जयपुर महानगर आदि सभी को ई-मेल/मैसेज के द्वारा रिमाण्ड ड्यूटी के सम्बन्ध में सूचित कर इस कार्यालय को सूचित करें।
- वरिष्ठ लिपिक, जिला न्यायालय, जयपुर महानगर प्रथम।


मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट,
जयपुर महानगर प्रथम।